उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 539/गोपनीय/2020 जबलपुर, दिनांक 03 जून, 2020
दो–2–1/2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**श्री सुबोध कुमार जैन,** प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर ।	इंदौर	अनूपपुर	अनूपपुर	सिविल जिला, अनूपपुर । जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में

टिप्पणी – रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 474/गोपनीय/2020/दो–2–1/2020, दिनांक 22–05–2020, जहां तक इसका संबंध **श्री सुबोध कुमार जैन,** प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर का, इंदौर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

क्रमांक 540/गोपनीय/2020 जबलपुर, दिनांक 03 जून, 2020
दो–2–1/2020

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 483/गोपनीय/2020/दो–2–33/57 (भाग–19), दिनांक 22–05–2020, जहां तक इसका संबंध **श्रीमती शशिकला चन्द्रा,** जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा का, हरदा से प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करती रहेंगी।

क्रमांक 540'A'/गोपनीय/2020 जबलपुर, दिनांक 03 जून, 2020
दो–2–1/2020

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 474/गोपनीय/2020/दो–2–1/2020, दिनांक 22–05–2020, जहां तक इसका संबंध **श्री कृष्णकांत शर्मा,** प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया का, दतिया से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे।

क्रमांक 541 / गोपनीय / 2020
दो–2–1 / 2020

जबलपुर, दिनांक 03 जून, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा–1–2–90–इक्कीस–ब(एक), दिनांक 26–10–95, अधिसूचना क्रमांक फा0–1–2–90–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 19–2–97 एवं क्रमांक 1–2–90–इक्कीस–अ(एक), दिनांक 7–5–99, क्रमांक फा01–2–90 / 21–ब (एक), दिनांक 4–58–2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1–2–90–21 / ब(एक)1511 / 2016, दिनांक 16–05–2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट **विशेष न्यायालय / अनन्य विशेष न्यायालय** में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	**श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव**	रतलाम	नीमच	नीमच	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर) के स्थान पर।	नीमच

क्रमांक 542 / गोपनीय / 2020
दो–2–1 / 2020

जबलपुर, दिनांक 03 जून, 2020

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 475 / गोपनीय / 2020 / दो–2–1 / 2020, दिनांक 22–05–2020, जहां तक इसका संबंध **श्रीमती विधि सक्सेना,** सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर का, सागर से विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नीमच की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करती रहेंगी।

क्रमांक 543 / गोपनीय / 2020
दो–2–1 / 2020

जबलपुर, दिनांक 03 जून, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**श्री अजय कांत पाण्डेय,** सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी।	सीधी	दतिया	दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।
2.	**श्री अजय सिंह**	श्योपुर	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रामजी गुप्ता के स्थान पर।
3.	**श्री रामजी गुप्ता**	ग्वालियर	श्योपुर	श्योपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय सिंह के स्थान पर।
4.	**श्री तनवीर अहमद खान**	इंदौर	सागर	सागर	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक – 10, विद्युत अधिनियम, सागर की हैसियत से श्री मुकेश कुमार के स्थान पर।

टिप्पणी –

(1) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 508 / गोपनीय / 2020 / दो–2–9 / 97, दिनांक 26–05–2020, जहां तक इसका संबंध **श्री तनवीर अहमद खान,** तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर का, इंदौर से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

03/06/2020
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 544/गोपनीय/2020
दो–2–1/2020

जबलपुर, दिनांक 03 जून, 2020

प्रतिलिपिः–

1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2 प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्री अजय कांत पाण्डेय,** सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी की पदस्थापना, नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं उच्च न्यायालय को सौंपे जाने संबंधी आदेश राज्य शासन से प्राप्त कर, इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें। रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 508/गोपनीय/2020/दो–2–9/97, दिनांक 26–05–2020 के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि **श्री तनवीर अहमद खान,** तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की पदस्थापना इस आदेश द्वारा नियमित न्यायालय में किये जाने के कारण, उनके संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के पद पर नियुक्ति संबंधी शासन की कार्योत्तर स्वीकृति की अनुशंसा वापस ली जाती है।

3 सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्री अजय कांत पाण्डेय,** सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 22–06–2020 को** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

4 महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

5 महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

6

1. **श्री सुबोध कुमार जैन,** प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर
2. **श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव,** तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम
3. **श्री अजय कांत पाण्डेय,** सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी
4. **श्री अजय सिंह,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर,
5. **श्री रामजी गुप्ता,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर,
6. **श्री तनवीर अहमद खान,** तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 22–06–2020 को** अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें। **यदि लॉकडाउन की वजह से अथवा अन्य कारण से उक्त दिनांक को कार्यभार**

ग्रहण करने में कोई कठिनाई हो तो, संबंधित अधिकारी पदभार ग्रहण करने के दिनांक में वृध्दि हेतु आवेदन पत्र इस रजिस्ट्री को प्रेषित कर सकते हैं।

7. **श्रीमती शशिकला चन्द्रा,** जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
8. **श्री कृष्णकांत शर्मा,** प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया
9. **श्रीमती विधि सक्सेना,** सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित।

7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **रतलाम/ सीधी/ श्योपुर/ ग्वालियर/ इंदौर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 22.06.2020 को** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

8 जिला एवं सत्र न्यायाधीश **अनूपपुर/ हरदा/ नीमच/ दतिया/ सागर** को सूचनार्थ अग्रेषित।

9 जिला एवं सत्र न्यायाधीश .... को सूचनार्थ अग्रेषित।

10 सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :–

(1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर**/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर** – 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

11 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

12 रजिस्ट्रार–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

13 माननीय न्यायाधिपति श्री ______________________________ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

14 माननीय न्यायाधिपति श्री ______________________________ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

15 माननीय न्यायाधिपति श्री ______________________________ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

16 रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

17 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

03/06/2020

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल